केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

के वि वि आयोग
CERC

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली –110 001
फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 310/टीएल/2023 **दिनांक: 12.2.2024**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

खावड़ा – भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड, सी–105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली 110021 द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड (इसके पश्चात् 'पारेषण योजना' के रूप में संदर्भित) पर "फेस–IV (7 जीडब्ल्यू): भाग ई1 के अधीन गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में पोटेन्शियल रिन्यूएबल एनर्जी जोन से विद्युत की निकासी" के लिए पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है। जिस परियोजना के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, उसका कार्य–क्षेत्र निम्नानुसार है:

क्रम सं.	योजना का नाम और कार्यान्वयन की समय–सीमा	अनुमानित लागत (₹करोड़)	टिप्पणी
1.	फेस–IV (7 जीडब्ल्यू): भाग ई1 के अधीन गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में पोटेन्शियल रिन्यूएबल एनर्जी जोन से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली कार्यान्वयन की समय–सीमा: आबंटन की तारीख से 24 मास	216	अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा आरटीएम के अधीन कार्यान्वयन किए जाने के लिए अनुमोदित

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 25.10.2023 के अपने पत्र द्वारा उपर्युक्त पैरा–1 में यथोल्लिखित आरटीएम रूट के माध्यम से पारेषण लाईन निष्पादित करने हेतु खावड़ा – भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 310/टीएल/2023 में दिनांक 12.2.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. खावड़ा – भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.adanienergysolutions.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **26.2.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **27.2.2024** को आवेदन पर अंतिम सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव